अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजहैल्थ/2026/ दिनांकः–

समस्त प्रधानाचार्य,
निजी मेडिकल कॉलेज/निजी डेन्टल कॉलेज,
राजस्थान ।

विषयः–आपके अधीन अध्ययनरत इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा राजहैल्थ पोर्टल पर स्वयं की जानकारी अपडेट एवं सबमिट करवाये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्मिकों (चिकित्सक सहित) के सेवा रिकॉर्ड के ऑन लाईन संधारण हेतु ''राजहैल्थ पोर्टल'' तैयार किया गया है,जिस पर आपके अधीन उच्च अध्ययनरत इन सर्विस अभ्यार्थी के द्वारा भी अपनी एच.पी.आर. आई.डी.(ABHA-ID)बनाते हुए अपनी स्वयं के सेवा सम्बन्धी समस्त जानकारी अपलोड एवं सबमिट की जानी है,तत्पश्चात समस्त जानकारी को संबधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना है ।

अतःलेख है कि आपके अधीन अध्ययनरत इन सर्विस अभ्यार्थियों को इस हेतु अपने स्तर से निर्देशित कराया जाना सुनिश्चित करते हुये उन्हे अपने सेवाभिलेख के साथ उक्त सूचना को संबधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाये जाने हेतु व्यक्तिशः आहरण एवं वितरण अधिकारी, अनुभाग, निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालयं में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

उक्त के आभाव में निर्देशानुसार संबधित चिकित्सक का मार्च 2026 से उक्त कार्य पूर्ण होने तक आगामी वेतन आहरित किया जाना संभव नहीं हो पायेगा ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः राजहैल्थ/2026/62-65 दिनांकः– 19/3/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–निजी सचिव,मिशन निदेशक,एन0एच0एम0,निदेशालय,मुख्यालय।

2–संबधित चिकित्सक को द्वारा उनके प्रधानाचार्य निजी मेडिकल कॉलेज/निजी डेन्टल मेडिकल कॉलेज, राजस्थान को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें अन्यथा मार्च 2026 से उक्त कार्य पूर्ण होने तक आगामी वेतन आहरित किया जाना संभव नहीं हो पायेगा ।

3–प्रभारी सर्वर रूम,मुख्यालय को प्रेषित कर लेख पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करें ।

संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान,जयपुर।